

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स- 0755- 2555162  
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 39/2012/3/ 300  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/11/2012

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
समस्त (म.प्र)

विषय: बूथ लेवल अधिकारी के उपयोग हेतु बैग क्रय करने बाबत ।  
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2012/3/3667 दिनांक 27.07.2011  
इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2012/3/6158 दिनांक 05.12.2011

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। फोटो निर्वाचक नामावली 2012 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारी के किट के साथ बैग क्रय करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे कि बी.एल.ओ. के उपयोग हेतु किट एवं बैग भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के भान से रु. 250/- का आवंटन भी जारी किया गया था।

कतिपय जिलों द्वारा बैग क्रय करने हेतु अलग से आवंटन की मांग की जा रही है तथा कुछ जिलों द्वारा बी.एल.ओ. के बैग लघु उद्योग निगम भोपाल के माध्यम से अथवा स्थानीय बाजार से क्रय करने हेतु मार्गदर्शन चाह रहे हैं। पुनः निर्देशित किया जाता है कि बी.एल.ओ. बैग भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए उपलब्ध बजट अनुसार जिला स्तर से क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: पूर्व निर्देश की प्रति



(आर.-बी. राठौर)

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
नास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स- 0755- 2555162  
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 39/2012/3/ 6158  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/12/2011

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
समरत (म.प्र)

विषय: बूथ लेवल अधिकारी के उपयोग हेतु बैग क्रय करने बाबत ।  
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2012/3/3667 दिनांक 27.07.2011

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। फोटो निर्वाचक नामावली-2012 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारी के किट के साथ बैग क्रय करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। किट एवं बैग भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के मान से रु. 250/- का आवंटन अलग से जारी किया गया था।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि बी.एल.ओ. बैग भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए उपलब्ध बजट अनुसार जिला स्तर से क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मु.नि.प. द्वारा आदेशित)



(आर. बी. राठौर)

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश